संख्या–1688/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.

प्रेषक,

श्री हरिराज किशोर,
सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 **लखनऊ, दिनांकः 30 जुलाई, 2004**

विषयः– प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.3 दिनांकः 25 जून, 2004 एवं शासनादेश संख्या–1646/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.2 दिनांकः 23 जुलाई, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन दिए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान देते हुए कड़ाई से पालन कराया जायः–

(1) खाना पकाने वाला व्यक्ति स्थानीय हो। इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं विधवाओं एवं परितक्यता को वरीयता दी जाय। इस सम्बन्ध में तत्काल इन्हें चिन्हित करने की आवश्यकता है जिससे योजना प्रारम्भ करने के पूर्व स्वच्छतापूर्वक पौष्टिक पका–पकाया भोजन तैयार कराये जाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो सके। इस संदर्भ में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर खाना पकाने वालों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाय। जिसमें सभी आवश्यक निर्देश दिए जाय यथा खाद्यान्न की खाना पकाने से पूर्व सफाई, ईंधन की व्यवस्था, स्वच्छ जल का उपयोग रसोई को स्वच्छ रखना तथा इस कार्य में संलग्न होने वाले समस्त लोगों को स्वयं भी स्वच्द रहने के निर्देश दिए जाए। जिन विद्यालयों में 200 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं उन विद्यालयों में दो व्यक्तियों से खाना पकाने का कार्य लिया जा सकता है।

(2) भोजन पकाने हेतु ऐसी वस्तु का उपयोग न किया जाये जिससे शिक्षा व्यवस्था व्यवधान रहित ढंग से संचालित होती रहे। इस हेतु अलग से किचेन शेड बनाने के निर्देश ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी किये जा रहें हैं। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि विद्यालय में स्वच्छ जल की उपलब्धता हो तथा स्वच्छ जल को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में बर्तन उपलब्ध हो। समय–समय पर विद्यालयों में पानी रखने हेतु बर्तनों की व्यवस्था की गयी है। जिनका उपयोग इस कार्य में भली–भॉति किया जा सकता है।

मध्यान्ह पोषाहार योजना हेतु धनराशि शीघ्र ही निर्गत की जा रही है। अतः गर्म पका–पकाया भोजन की आपूर्ति हेतु सभी सम्बन्धित तैयारियॉ पूर्ण कर ली जाय जिससे पोषाहार योजना समय पर लागू की जा सके। प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धित है, अतः पोषाहार सम्बन्धी योजना लागू करने सम्बन्धी कार्यवाही सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हुए सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
ह0
हरि राज किशोर,
सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक(1) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग।
3– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
7– सचिव, महिला एवं बाल विकास।
8– निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग।
9– क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम।
10– प्रबंधन निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
11– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
12– समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
13– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
14– समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी।
15– गार्ड फाइल/सम्बन्धित अधिकारी।

आज्ञा से,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया,)
विशेष सचिव